

**AFR**

उच्च न्यायालय न्यायालय छ०ग०, बिलासपुर
आपराधिक अपील संख्या 766/2014

बाबाला पारधी पुत्र कृपाराम पारधी, उम्र लगभग 37 वर्ष
वर्ष, व्यवसाय मजदूर, निवासी सोहागपुर, थाना परपोंडी,
तहसील साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र खड़गांव,
जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलकर्ता के लिए:- श्री सुरेश वर्मा, अधिवक्ता
राज्य के लिए:- श्री आशीष तिवारी, जी.ए.

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविन्द सिंह चंदेल
बोर्ड पर निर्णय

संजय के. अग्रवाल, जे.
08/05/2023



1. इस आपराधिक अपील को अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत उस विवादित निर्णय दिनांक 24/01/2013 के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने सत्र परीक्षण क्रमांक 25/2013 में पारित किया था, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹100/- का जुर्माना (अन्यथा 10 दिन का अतिरिक्त कारावास), आजीवन कारावास के साथ ₹100/- का जुर्माना (अन्यथा 10 दिन का अतिरिक्त कारावास) और 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹100/- का जुर्माना (अन्यथा 10 दिन का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई गई है, तथा सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।
2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 06/06/2012 को लगभग शाम 4 बजे, अपीलार्थी ने दो अन्य सह-आरोपियों, सरजूराम और जियनराम के साथ



मिलकर अपनी सामान्य आपराधिक मंशा के तहत 8 वर्षीय भोला उर्फ अर्जुन पारधी की हत्या करने के उद्देश्य से उसे फिरौती के लिए अपहरण किया किंतु, उन्होंने गला घोटकर और सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी और अपने अपराध को छुपाने के लिए शव को दफना दिया।

3. यह तथ्य रिकॉर्ड पर स्वीकृत है कि अपीलार्थी ने दुर्पती बाई (पी.डब्ल्यू.-9) की पुत्री कुंती बाई (पी.डब्ल्यू.-6) से चूड़ी समारोह के माध्यम से विवाह किया था और मृतक भोला उर्फ अर्जुन पारधी अपीलार्थी का दामाद था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 08/06/2014 को, दुर्पती बाई (पी.डब्ल्यू.-9) ने थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपीलार्थी उसके घर आया और कहा कि चूंकि वह अपनी बेटी कुंती बाई (पी.डब्ल्यू.-6) को उसके साथ नहीं भेज रही है, इसलिए उसे अपीलार्थी द्वारा किए गए ₹50,000/- के खर्च की भरपाई करनी होगी। दिनांक 06/06/2012 को लगभग शाम 4 बजे, उसका पुत्र भोला उर्फ अर्जुन पारधी सेमरिया में



दुकान की ओर अपनी साइकिल से गया था, जहां अपीलार्थी पहले से बैठा था, और उसने उसके पुत्र को अपने साथ ले लिया। इस सूचना के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच प्रारंभ की गई। अपीलार्थी को हिरासत में लेकर उसका मेमोरेंडम बयान (Ex. P/2) दर्ज किया गया, जिसके आधार पर सह-आरोपियों सरजूराम और जियनराम के मेमोरेंडम बयान (Ex. P/4 एवं P/5) भी दर्ज किए गए। इन बयानों के आधार पर घटनास्थल से एक काले रंग की साइकिल (Ex. P/6), रक्तंजित मिट्टी एवं सामान्य मिट्टी (Ex. P/7), मृतक की हरी रंग की चप्पलें और एक भारी पत्थर (Ex. P/8) तथा अपीलार्थी द्वारा पहनी गई खून से सनी एक क्रीम रंग की शर्ट (Ex. P/10) जब्त की गई। दिनांक 09/06/2012 को उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद मृतक भोला उर्फ अर्जुन पारधी का शव निकाला गया और देहाती मार्ग सूचना (Ex. P/20) दर्ज की गई। घटनास्थल नक्शा (Ex. P/21)



तैयार किया गया और शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) किया गया, जो डॉ. एस.के. अग्रवाल (पी.डब्ल्यू.-3) द्वारा संपन्न हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Ex. P/16) के अनुसार, मृत्यु का कारण गला घोटने (थ्रॉटलिंग) के कारण दम घुटना बताया गया और मृत्यु की प्रकृति को हत्या (हॉमिसाइडल) के रूप में इंगित किया गया। जब्त किए गए सभी साक्ष्य फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे, किंतु कोई भी एफएसएल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई। पूर्ण जांच के बाद, अपीलार्थी और दोनों सह-आरोपियों के विरुद्ध धारा 364(A)/34, 302/34 एवं 201/34 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपियों ने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपना बचाव प्रस्तुत किया।

4. अभियोजन पक्ष ने अपराध को सिद्ध करने के लिए कुल 13 गवाहों को प्रस्तुत किया और 31 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। अपीलार्थी और सह-आरोपियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने



अपराध से इंकार किया, किंतु उन्होंने अपने पक्ष में कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया और केवल 3 दस्तावेज रिकॉर्ड में लाए।

5. विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के पश्चात मृतक भोला उर्फ अर्जुन पारधी की मृत्यु को हत्या मानते हुए सह-आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302 और 201 के तहत दोषी ठहराकर पूर्वोक्त दंडादेश सुनाया।

6. श्री सुरेश वर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता, का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अश्विनी कौशल (पी.डब्ल्यू.-2) की गवाही पर अविश्वासपूर्ण ढंग से भरोसा किया और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 'अंतिम बार साथ देखे जाने' (लास्ट सीन टुगेदर) की सिद्धांत को गलत तरीके से स्वीकार किया। वे यह भी तर्क देते हैं कि विचारण न्यायालय ने यह अवैध रूप से माना कि मृतक का शव अपीलार्थी के मेमोरेंडम बयान के आधार पर बरामद हुआ और अपीलार्थी अपने 313 सीआरपीसी बयान में इसकी



उचित व्याख्या देने में असफल रहा। अतः, यह अपील स्वीकार की जानी चाहिए और विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को रद्द किया जाना चाहिए।

7. दूसरी ओर, श्री आशीष तिवारी, राज्य के अधिवक्ता, विवादित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित कर दिया है और मृतक का शव अपीलार्थी के मेमोरेण्डम बयान के आधार पर बरामद हुआ, जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। इसलिए, यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, उनके प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया और अत्यंत सावधानीपूर्वक अभिलेखों का अवलोकन किया।
9. निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया और उन्हें पूरी तरह से स्थापित



पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने शरद बिरडी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 SCC 116 के मामले में उन पाँच स्वर्णिम सिद्धांतों को निर्धारित किया है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले को सिद्ध करने के 'पंचशील सिद्धान्त' माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं :-

"153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है :-

- (1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे अपराध सिद्ध किया जाना है, पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए।
- (2) स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि के सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य व्याख्या से स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।
- (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
- (4) वे प्रत्येक वैकल्पिक संभावना को समाप्त कर दें, सिवाय उस एक संभावना के जिसे सिद्ध किया जाना है।
- (5) प्रमाणों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए, जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप कोई भी उचित



आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

10. अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें निचली अदालत ने प्रमाणित पाया :-

"1. मृतक भोला उर्फ अर्जुन पारधी की मृत्यु दिनांक 06/06/2010 को हत्यात्मक प्रकृति की थी ?

2. आरोपी बबला पारधी ने अपनी पत्नी अ०सा०-06-कुंती बाई से अपने माँ के घर से बाइक लेने के लिए रुपया लाने को कहता था और रुपया नहीं लाने पर उसके साथ मारपीट करता था, जो की अपराध का हेतुक था।

3. मृतक भोला उर्फ अर्जुन पारधी की उम्र 8 वर्ष को आरोपी बबला एवं अजय उर्फ अंगूठी के साथ अंतिम बार जीवित अवस्था में अ०सा०-02 अश्वनी कौशल द्वारा देखा गया था ?

4. आरोपी बबला पारधी के साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत लिए गए कथन के आधार पर मृतक भोला उर्फ अजय पारधी का शव उनके बताये हुए स्थान जोतन भरी खेत में बरामद किया गया है ?



5. आरोपी बबला पारधी से जप्त क्रीमी रंग के टेरीकाट के फूल शर्ट में मृतक भोला उर्फ अर्जुन पारधी के रक्त के धब्बे पाए गए हैं ?”

11. अब हम उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का एक-एक करके परीक्षण कर अभियुक्त के मामले पर विचार करेंगे।

मृतक की मृत्यु का स्वरूप :-

12. पहला परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह है कि मृतक भोला @ अर्जुन पारधी की मृत्यु हत्या थी, जिसे निचली अदालत ने चिकित्सीय विशेषज्ञ डॉ. एस. के. अग्रवाल (पी.डब्ल्यू.-3) की राय के आधार पर सही पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Ex. P/16) में मृत्यु का कारण गला दबाने (थ्रॉटलिंग) से दम घुटना (एस्फिक्सिया) बताया गया है और मृत्यु की प्रकृति हत्या (हॉमिकाइडल) मानी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Ex. P/16) और डॉ. एस. के. अग्रवाल (पी.डब्ल्यू.-3) के बयान को ध्यान में रखते हुए, तथा मृतक की गर्दन और सिर पर लगे घावों को देखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निचली अदालत ने मृतक की मृत्यु को हत्या मानते हुए सही निर्णय दिया है। हम



इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं, विशेष रूप से जब इसे निचली अदालत में जरा भी चुनौती नहीं दी गई थी।

अपराध का उद्देश्य :-

13. अभियोजन पक्ष का दावा है कि अभियुक्त ने कुंती बाई (पी.डब्ल्यू.-6) से चूड़ी विवाह कर लिया था और उस पर दबाव बनाया कि वह अपनी माँ से पैसे लेकर उसे बाइक दिलाए। उसने कुंती बाई के साथ मारपीट भी की। जब वह पैसे नहीं ला सकी, तो अभियुक्त ने उसके भाई भोला @ अर्जुन परधी का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। कुंती बाई (पी.डब्ल्यू.-6) और उसके पिता लखनराम परधी (पी.डब्ल्यू.-7) के बयानों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने कुंती बाई से शादी के बाद उसे गाँव सोहागपुर ले गया था। शादी के 15 दिनों बाद, उसने उस पर दबाव डाला कि वह अपने माता-पिता से पैसे लेकर उसे बाइक दिलवाए। लखनराम (पी.डब्ल्यू.-7) ने कहा कि भोला @ अर्जुन परधी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था और उन्हें न्यायालय से मुआवजा



मिला था, जिसे उन्होंने बैंक में जमा कर दिया था। अभियुक्त ने कुंती बाई पर दबाव डाला कि वह यह मुआवजा राशि उसे दिलवाए। जब कुंती बाई ऐसा नहीं कर सकी, तो अभियुक्त ने भोला @ अर्जुन परधी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। इन गवाहों से हुई जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) में अभियुक्त के बचाव में कुछ भी साबित नहीं हुआ। इसलिए, निचली अदालत ने सही ठहराया कि अभियुक्त के खिलाफ अपराध का उद्देश्य साबित हुआ है।

अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत :-

14. अभियुक्त के खिलाफ मुख्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह है कि उसे और मृतक को अश्वनी कौशल (पी.डब्ल्यू.-2) ने अंतिम बार एक साथ देखा था, और उसके बाद भोला @ अर्जुन परधी मृत पाया गया। अश्वनी कौशल (पी.डब्ल्यू.-2) ने अदालत में कहा कि वह गाँव में साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता है। अभियुक्त और एक अन्य सह-आरोपी दोपहर 1 बजे उसकी दुकान पर आए और उन्होंने एक साइकिल किराए पर



ली, उनके साथ 8-9 साल का एक बच्चा भी था। रात 9 बजे, अभियुक्त और सह-आरोपी साइकिल लौटाने आए, और उस समय भी बच्चा उनके साथ था। साइकिल लौटाने के बाद, वे गाँव सोहागपुर की ओर चले गए। 2-3 दिन बाद, पुलिस उसे सोहागपुर और चेचनमाता के बीच एक स्थान पर ले गयी, जहाँ बच्चे का शव निकाला गया और उसने शव की पहचान की। अदालत ने स्वयं अश्वनी कौशल (पी.डब्ल्यू.-2) से पूछा कि क्या वह बच्चा, जिसे उसने अभियुक्त के साथ देखा था, वही था जिसका शव चेचनमाता खार से निकाला गया? इस पर उसने सकारात्मक उत्तर दिया।

15. **अर्जुन मलिक बनाम बिहार राज्य (1994 Supp (2) SCC 372)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

"31. यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, तो यह केवल एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य होगा। लेकिन यह



कानून में स्थापित है कि केवल 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का साक्ष्य अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए, जो निर्दोषता की किसी भी संभावना को समाप्त कर दे।"

16. इसी प्रकार, गोवा राज्य बनाम संजय ठकरन (2007) 3

SCC 755 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति तब एक प्रासंगिक साक्ष्य होगी जब यह स्पष्ट हो कि घटना स्थल पर अपराध होने से पहले मृतक से मिलने या संपर्क करने की किसी अन्य व्यक्ति की कोई संभावना नहीं थी। इसे पैरा 34 में निम्नलिखित रूप में कहा गया है:-

"34. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार, 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति को अपराधी को दोषसिद्ध करने के लिए तब स्वीकार किया जाएगा जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर दे कि वह समयांतराल, जब अभियुक्त और मृतक को जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया, इतना कम था कि मृतक के साथ किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति



की संभावना पूरी तरह से नकार दी जा सके। अभियुक्त और मृतक को एक साथ देखे जाने और अपराध उजागर होने के बीच के समयांतराल को साक्ष्य की सराहना करने और अभियुक्त के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में निर्भर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा। लेकिन, यह नहीं कहा जा सकता कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के साक्ष्य को केवल इस कारण से खारिज कर दिया जाए कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने और अपराध के प्रकाश में आने के बीच का समय अधिक है। इस समयांतराल की कोई स्थिर या कठोर सीमा नहीं हो सकती, बल्कि यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर निर्भर करेगा कि क्या वह किसी अन्य व्यक्ति के मृतक से मिलने की संभावना को पूरी तरह नकार सकते हैं। यदि अभियोजन यह दिखाने में सफल हो जाए कि घटना स्थल पर मृतक से कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिल सकता था, या अभियुक्त घटना स्थल पर पूरी तरह से एकमात्र व्यक्ति था, तो अपेक्षाकृत अधिक समयांतराल होने पर भी अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होगा।"

17. इसी प्रकार, **कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य (2014)**

4 SCC 715 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति मात्र से



यह आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया है, बल्कि अभियुक्त और अपराध के बीच कोई अन्य संबंध भी स्थापित होना आवश्यक है। अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देने मात्र से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसे पैरा 15 और 16 में कहा गया है:-

"15. अंतिम बार साथ देखे जाने की सिद्धांत — अभियुक्त मृतक के साथ गया था, यह अकेला परिस्थिजन्य साक्ष्य है जो अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध है। अभियुक्त की केवल संदेहास्पद गतिविधियों या आचरण मात्र के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विशेष रूप से तब, जब अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा हो कि अभियुक्त और मृतक के बीच कोई शत्रुता थी।"

"16. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है और अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।"

18. अंततः, अंजन कुमार शर्मा बनाम असम राज्य (2017) 14

SCC 359 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अन्य कड़ियाँ अपराध की ओर संकेत करती हैं और परिस्थितियाँ अभियुक्त को दोषी ठहराने की ओर इंगित करती



हैं, तो 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति और अभियुक्त के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन यदि अन्य साक्ष्य नहीं हैं, तो मात्र 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की स्थिति और अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देने को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता।

19. अब इस मामले के तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों (उपरोक्त) में दिए गए कानूनी सिद्धांतों के संदर्भ में देखा जाए, तो अश्वनी कौशल (P.W.-2) की गवाही से यह स्पष्ट है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था। उसके बाद वह गायब हो गया और फिर उसका शव अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से (Ex. P/27) उत्खनित किया गया। जाँच अधिकारी डी.आर. गायकवाड़ (P.W.-13) ने इसे साबित किया और अश्वनी कौशल (P.W.-2) ने उसकी पहचान की। अतः यह स्थापित हो चुका है कि अभियुक्त ने मृतक को अश्वनी कौशल (P.W.-2) की साइकिल



दुकान से अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त पर यह दायित्व था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में यह स्पष्ट करता कि मृतक के साथ क्या हुआ, लेकिन उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अतः अभियोजन द्वारा 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की सिद्धांत को सिद्ध कर दिया गया है।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2001)

4 SCC 375 के मामले में, जहाँ दो व्यक्तियों को हथियारबंद हमलावरों द्वारा उनके घर से रात में ले जाया गया और अगली सुबह उनके शव गोली के घावों के साथ उनके घर के पास पाए गए, यह माना कि अभियुक्तों ने कोई जानकारी नहीं दी, जबकि यह जानकारी केवल उनके पास थी। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे ही हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इसे पैरा 15, 18, 19 और 20 में स्पष्ट किया गया है:-

"15. अपहरणकर्ता ही यह बता सकते थे कि मृतक के साथ अपहरण के बाद क्या हुआ। जब अपहरणकर्ताओं ने इस जानकारी को छिपाया, तो इन सभी परिस्थितियों



को ध्यान में रखते हुए, उनके विरुद्ध हत्या का अनुमान लगाना उचित होगा।"

"19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन को अपने साक्ष्यों को साबित करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती, बल्कि यह उन मामलों पर लागू होती है जहाँ अभियोजन यह साबित कर चुका हो कि अभियुक्त के पास विशेष जानकारी थी, लेकिन उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।"

"20. यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं और बाद में वह व्यक्ति मृत पाया जाता है, तो न्यायालय उचित रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि सभी अपहरणकर्ता हत्या के लिए जिम्मेदार हैं।"

21. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने राम गोपाल बनाम मध्य प्रदेश

राज्य 2023 LiveLaw (SC) 120 के मामले में

राजेन्द्र बनाम दिल्ली राज्य (2019) 10 SCC 623 और

सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2018) 6 SCC 610 पर

भरोसा करते हुए यह कहा कि किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य आधारित मामले में अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण देना या न देना एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यदि अभियोजन पक्ष



‘अंतिम बार साथ देखे जाने’ की स्थिति को साबित कर देता है, तो अभियुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह यह स्पष्ट करे कि वह मृतक से कब और किन परिस्थितियों में अलग हुआ था।

पैरा 6 और 9 में इसे स्पष्ट किया गया है:-

"6. यदि अभियोजन पक्ष यह साबित कर देता है कि अभियुक्त मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, तो अभियुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह यह बताए कि वह मृतक से कब और किन परिस्थितियों में अलग हुआ। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, तो यह अभियोजन के मामले में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ सकता है।"

"9. ‘अंतिम बार साथ देखे जाने’ की सिद्धांत को अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यदि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हों, जैसे कि शव की बरामदगी अभियुक्त की उपस्थिति वाले स्थान के पास हो, अभियुक्त का कोई स्पष्टीकरण न देना, अपराध करने का उद्देश्य साबित होना और अन्य साक्ष्य उपलब्ध हों, तो दोषसिद्धि संभव हो सकती है।"

22. सुप्रीम कोर्ट द्वारा **सुच्चा सिंह (उपर्युक्त)** और **रामगोपाल (उपर्युक्त)** मामलों में प्रतिपादित विधि सिद्धांतों के दृष्टिगत, हम यह विचार रखते हैं कि निचली अदालत ने सही रूप से यह



निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने मृतक का अपहरण किया और उसके पश्चात उसकी हत्या की, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि मृतक के साथ क्या हुआ जब उसे आखिरी बार अश्विनी कौशल (पी.डब्ल्यू.-2) द्वारा अपीलार्थी के साथ देखा गया था। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्थापित हो चुका है कि अपीलार्थी के मेमोरेंडम बयान (Ex. P/2) के आधार पर मृतक का शव (Ex. P/1) बरामद किया गया।

23. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध सुरेश (2000) 1 SCC 471 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि किसी आरोपी के मेमोरेंडम बयान के आधार पर कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की जाती है, तो उस पर यह दायित्व होता है कि वह यह स्पष्ट करे कि उसे इस गुप्त स्थान की जानकारी कैसे हुई। यदि वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो यह आरोपी के लिए घातक साबित हो सकता है। इस संबंध में, अनुच्छेद 26 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया है:



"26. जब कोई आरोपी किसी स्थान की ओर इशारा करता है जहाँ एक मृत शरीर या कोई आपत्तिजनक सामग्री छिपाई गई है, तो तीन संभावनाएँ हो सकती हैं — (1) उसने स्वयं उसे छिपाया हो, (2) उसने किसी और को ऐसा करते हुए देखा हो, या (3) उसे किसी और ने बताया हो कि वह वस्तु वहाँ छिपाई गई है। लेकिन यदि आरोपी यह नहीं बताता कि उसकी जानकारी दूसरी या तीसरी संभावना पर आधारित है, तो आपराधिक न्यायालय यह उचित रूप से मान सकता है कि उसी ने सामग्री को छिपाया है।"

24. **सुरेश (उपर्युक्त)** मामले में प्रतिपादित उक्त विधि सिद्धांत को **निनाप्पा यलप्पा होशमानी विरुद्ध कर्नाटक राज्य (2009) 14 SCC 582** के मामले में अनुमोदन किया गया।

25. इसके पश्चात, **अरविन्द सिंह विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2021) 11 SCC 1** में सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया:

"88. ... वर्तमान मामले में, मृत शरीर एक छिपे हुए स्थान पर पाया गया और आरोपी के पास इस बात का कोई संभावित स्पष्टीकरण नहीं था कि मृत शरीर उस स्थान पर कैसे आया, जबकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य



यह सिद्ध करते हैं कि आरोपी घटना के समय शव बरामद होने के स्थान के निकट ही मौजूद थे।"

26. वर्तमान मामले के तथ्यों पर पुनर्विचार करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के मेमोरेंडम बयान (Ex. P/2) में उसने यह स्वीकार किया कि उसने भोल @ अर्जुन पारधी की हत्या करने के पश्चात उसके शव को खेत में दफना दिया। इसके आधार पर ही Ex. P/1 के तहत शव को बरामद किया गया, जिसकी अनुमति तहसीलदार एम.आर. जंघेल (पी.डब्ल्यू.-8) से ली गई थी। अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत यह नहीं बता सका कि उसे शव की जानकारी कैसे थी, जबकि उसे यह स्पष्ट करना आवश्यक था जिससे यह सिद्ध होता कि वह अपराध का दोषी नहीं है। अतः, निचली अदालत ने उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने भोल @ अर्जुन पारधी का अपहरण किया, उसकी गला घोटकर हत्या की और उसके शव को छिपाने के लिए दफना दिया।

निष्कर्ष:



27. उपर्युक्त विधि-चर्चा के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा "शरदचंद विरडीचंद सारदा" (उपर्युक्त) में प्रतिपादित परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित पांच स्वर्णिम सिद्धांत अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किए जा चुके हैं। अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे अपराध साबित कर दिया है, और इसलिए निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराने का निर्णय सही था।

28. तदनुसार, यह आपराधिक अपील खारिज की जाती है।

सही/-
(संजय के० अग्रवाल)
न्यायमूर्ति

सही/
(अरविन्द सिंह चंदेल)
न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।